निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा

प्रकरण संख्या : 76/2010 तारीख दायरा 25.06.2010

उनवान

1. नवलकिशोर आत्मज गोपाल
2. रामकिशन आत्मज गोपाल
3. मु0 केसर बाई पुत्री गोपाल
4. मुस0 भेरीबाई पुत्री गोपाल
5. मुस0 धन्नी बाई पुत्री गोपाल जाति माली निवासीगण ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

–प्रार्थीगण

बनाम

...0 गंगाबाई बेवा तुलसीराम जाति माली निवासीनी ग्राम ढाबला तहसील अन्ता जिला बारां ...स्थान।

– अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

...थत :–

श्री महेश तिवारी (वकील प्रार्थीगण) दिनांक :– 21.02.2022

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील अप्रार्थीगण)

— निर्णय —

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ... एक प्रार्थना पत्र इस आशय ...तुत किया है कि माननीय न्यायालय में अप्रार्थीनी के पति स्व. तुलसीराम जी ने प्रार्थीगण के ...0 गोपाल जी के विरूद्ध दिनांक 28.05.88 को ग्राम राजगढ तहसील सांगोद की खसरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

...बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 52 की 26 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 53 की 3 बीघा 2 ... खसरा नं0 163 की 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 रकबा 45 बीघा 16 बिस्वा आराजीयात ...सेटलमैन्ट 2012 के बाद तुलसीराम जी व गोपाल जी के संयुक्त खाते में दर्ज थी, का विभाजन ... पेश किया था, जिसकी जवाब देही में प्रार्थी नं0 1 व स्व0 गोपाल जी के विवादित ...जवाब में वादी तुलसीराम का हक नकारते हुये विवादित आराजियात में सेटलमैन्ट की गलती ...1/2 हिस्से में तुलसीराम का नाम आने से व सेटलमैन्ट के पहले प्रार्थीगण के पिता स्व0 गोपाल ...कब्जे की होने से व कब्जा लगातार गोपाल जी व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का होने से ...प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण की हैसियत से विवादित आराजीयात से वादी तुलसीराम का नाम ...हटवाने की घोषणा की डिक्री चाहने व सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थीगण के खाते बांधी जाने की ...की डिक्री पारित करवाने के लिए काउन्टर क्लेम पेश किया था। उक्त वाद में वादी ...राम का देहान्त होने से उसके उत्तराधिकारीगण पत्नी गंगाबाई पुत्र रामचन्द्र, स्योजी, ...लाल, कुन्जबिहारी, हुकमचन्द, रामनिवास, लक्ष्मण व प्रहलाद वादीगण के रूप में रिकार्ड में आ ...है तथा प्रतिवादी गोपाल जी का देहान्त होने से उनके उत्तराधिकारीगण प्रार्थीगण प्रतिवादीगण ...हैसियत से रिकार्ड पर आ चुके है। वर्तमान में पत्रावली मुकर्रर प्रार्थना पत्र की बहस में माननीय ...न्यायालय में चल रहा है, जिसमें आगामी पेशी 30.07.2010 नियत है।

वादी तुलसीराम जी ने वाद पत्र के साथ धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रार्थना पत्र ...अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया था व बाद में रिसीवर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया जो ...द न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.89 को निरस्त कर दिया था। जिसकी अपील वादी द्वारा ...राजस्व अपील अधिकारी के यहां करने पर उन्होंने दि... ...95 को वादी की अपील ...रूप से स्वीकार कर 400 रूपये प्रति बीघा ... ... आदेश दिये थे, जिसके ...प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत करने पर उन्होंने अपने निर्णय ...11.04.96 से रिसीवर नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया था, इसके बाद वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:26
Reason: SelfAttested

निर्णय बइजलास सुश्री अंजना सहरावत (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी सांगोद
जिला कोटा

करण संख्या : 76/2010

तारीख दायरा 25.06.2010

उनवान

1. नवलकिशोर आत्मज गोपाल
2. रामकिशन आत्मज गोपाल
3. मु0 केसर बाई पुत्री गोपाल
4. मुस0 भेरीबाई पुत्री गोपाल
5. मुस0 धन्नी बाई पुत्री गोपाल जाति माली निवासीगण ग्राम राजगढ तहसील सांगोद जिला कोटा राजस्थान।

—प्रार्थीगण

बनाम

गंगाबाई बेवा तुलसीराम जाति माली निवासीनी ग्राम ढाबला तहसील अन्ता जिला बारां
थान।

— अप्रार्थी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा</u>

यत :—

श्री महेश तिवारी (वकील प्रार्थीगण) दिनांक :— 21.02.2022

श्री दिनेश कुमार गौतम (वकील अप्रार्थीगण)

—— निर्णय ——

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय
तुत किया है कि माननीय न्यायालय में अप्रार्थीनी के [illegible] व0 तुलसीराम जी ने प्रार्थीगण के
व0 गोपाल जी के विरुद्ध दिनांक 28.05.88 को ग्राम [illegible] ढ तहसील सांगोद की खसरा नं0

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड मजिस्ट्रेट
सांगोद (कोटा)

50 की 9 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नं0 52 की 26 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नं0 53 की 3 बीघा 2 बिस्वा, खसरा नं0 163 की 3 बीघा 17 बिस्वा कुल किता 5 रकवा 45 बीघा 16 बिस्वा आराजीयात जो सेटलमैन्ट 2012 के बाद तुलसीराम जी व गोपाल जी के संयुक्त खाते में दर्ज थी, का विभाजन का वाद पेश किया था, जिसकी जवाव देही में प्रार्थी नं0 1 व स्व0 गोपाल जी के विवादित आराजीयात में वादी तुलसीराम का हक नकारते हुये विवादित आराजियात में सेटलमैन्ट की गलती से 1/2 हिस्से में तुलसीराम का नाम आने से व सेटलमैन्ट के पहले प्रार्थीगण के पिता स्व0 गोपाल जी के खाते की होने से व कब्जा लगातार गोपाल जी व उनकी मृत्यु के बाद प्रार्थीगण का होने से हम प्रार्थीगण ने प्रतिवादीगण की हैसियत से विवादित आराजीयात से वादी तुलसीराम का नाम निरस्त करवाने की घोषणा की डिकी चाहने व सम्पूर्ण आराजीयात प्रार्थीगण के खाते बांधी जाने की घोषणा की डिकी पारित फरवाने के लिए काउन्टर क्लेम पेश किया था। उक्त वाद में वादी तुलसीराम का देहान्त होने से उसके उत्तराधिकारीगण पत्नी गंगाबाई पुत्र रामचन्द्र, श्योजी, मदनलाल, कुन्जबिहारी, हुकमचन्द, रामनिवास, लक्ष्मण व प्रहलाद वादीगण के रूप में रिकार्ड में आ चुके है तथा प्रतिवादी गोपाल जी का देहान्त होने से उनके उत्तराधिकारीगण प्रार्थीगण प्रतिवादीगण की हैसियत से रिकार्ड पर आ चुके है। वर्तमान में पत्रावली मुकर्रर प्रार्थना पत्र भी बहस में माननीय न्यायालय में चल रहा है, जिसमें आगामी पेशी 30.07.2010 नियत है।

वादी तुलसीराम जी ने वाद पत्र के साथ धारा 212 आर0टी0एक्ट का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा भी पेश किया था व बाद में रिसीवर नियुक्ति का प्रार्थना पत्र पेश किया जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 29.04.89 को निरस्त कर दिया था। जिसकी अपील वादी द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी के यहां करने पर उन्होंने दिनांक 31.05.95 को वादी की अपील आंशिक रूप से स्वीकार कर 400 रूपये प्रति बीघा नगद जमा कराने के आदेश दिये थे, जिसके विरूद्व प्रार्थीगण द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी प्रस्तुत करने पर उन्होने अपने निर्णय दिनांक 11.04.96 से रिसीवर नियुक्ति का आदेश निरस्त कर दिया था, इसके बाद वादी द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
सांगोद जिला कोटा

राजस्थान उच्च न्यायालय में हम प्रार्थीगण के विरूद्ध याचिका पेश करने पर उन्होंने अपने निर्णय दिनांक 26.06.02 से याचिका निरस्त कर दी थी।

विवादित आराजीयात के बाद सेटलमैन्ट खसरा नं0 173/915 की 0.09 है0, 174 की 0.46 है0, 174/916 की 0.57 है0, 175 की 0.47 है0, 179 की 0.50 है0, व 186 की 2.33 है0, खसरा नं0 187 की 2.00 है0, 338 की 0.19 है0, 339 की 0.43 है0 तथा 391 की 0.37 हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 7.41 हैक्टर नम्बर कायम हो चुके हैं तथा राजस्व अभिलेखों में विवादित आराजीयात के 1/21 हिस्से में प्रार्थीगण व 1/2 हिस्से में तुलसीराम जी वारिसान द्वारा उनकी पत्नी गंगाबाई के पक्ष में हक त्याग करने से गंगा बाई का नाम चला आ रहा है।

वर्तमान राजस्व अभिलेखों में 1/2 हिस्से में अप्रार्थी गंगाबाई का नाम दर्ज होने से 1/2 हिस्से की आराजी को बैंक अथवा अन्य संस्था को भारग्रस्त करने अथवा खुर्द बुर्द करने आमादा है, ऐसा करने की उन्होने 8 दिन पूर्व धमकी दी है, उनका नाम सेटलमैन्ट के बाद वन से आया है। सेटलमैन्ट से पूर्व प्रार्थीगण के पिता स्व0 पोपाल जी का नाम था। सेटलमैन्ट ो को पूर्व के इन्द्राजात को बदलने का कोई अधिकार नहीं था।

ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के लिए यह आवश्यक हो गया है कि अप्रार्थीनी व उनके ट के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पारित करावे कि वे ग्राम ाढ तहसील सांगोद की विवादित आराजीयात खसरा नं0 173/915 की 0.09 है0, 174 की 0. है0, 174/916 की 0.57 है0, 175 की 0.47 है0, 179 की 0.50 है0, व 186 की 2.33 है0, खसरा 187 की 2.00 है0, 338 की 0.19 है0, 339 की 0.43 है0 तथा 391 की 0.37 हैक्टर कुल किता कुल रकबा 7.41 हैक्टर आराजीयात को किसी व्यक्ति बैंक अथवा अन्य संस्था को रहन विकय अन्य किसी प्रकार के भारग्रस्त व हस्तान्तरित न करें। अगर उनको पाबन्द नहीं किया गया रहन विकय अथवा भारग्रस्त कर देंगे। जिससे प्रार्थीगण को अपने विधिक अधिकारों से वंचित पडेगा, अपरिमित क्षति होगी, काउन्टर क्लेम पेश करने ... हो जावेगा। प्रार्थीगण का ा प्रथम दृष्टया है व सुविधाओं का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के ... में है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार का होने से पेश या जा रहा है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीनी व उनके एजेन्ट के विरूद्ध आशय की आस्थाई निषेधाज्ञा ताफैसला मुकदमा पारित करावें कि–

ग्राम राजगढ तहसील सांगोद की विवादित आराजीयात खसरा नं0 173/915 की 0.09 174 की 0.46 है0, 174/916 की 0.57 है0, 175 की 0.47 है0, 179 की 0.50 है0, व 186 की 9 है0, खसरा नं0 187 की 2.00 है0, 338 की 0.19 है0, 339 की 0.43 है0 तथा 391 की 0.37 र कुल किता 10 कुल रकबा 7.41 हैक्टर आराजीयात को किसी व्यक्ति बैंक अथवा अन्य संस्था रहन विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार के भारग्रस्त व हस्तान्तरित न करें। अगर उनको पाबन्द किया गया तो वे रहन विक्रय अथवा भारग्रस्त कर देंगे, जिससे प्रार्थीगण को अपने विधिक कारो से वंचित होना पडेगा। जिसके काफी अपरिमित क्षति होगी जिसकी पूर्ति भविष्य में सम्भव हो सकेगी।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थना पत्र क्त पेश होने बहस एकतरफा सुनी गई व आगामी पेशी तक वादग्रस्त आराजी को रहन–वय, बुर्द व भारग्रस्त न करने की अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 25.6.2010 को पारित की गई। अप्रार्थी लबी की गई। पत्रावली में दिनांक 12.01.2021 को अप्रार्थी गंगाबाई की ओर से वकील श्री कुमार गौतम ने वकालतनामा पेश किया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा बहस की गई एवं अपनी बहस में यह तर्क प्रस्तुत किया गया ार्थना पत्र में वर्णित आराजी प्रार्थीगण के पिता गोपाल के नाम सेटलमैन्ट से पूर्व संवत -12, संवत 2007 की जमाबंदी में तन्हा गोपाल वल्द ऊंकार के नाम दर्ज थी। लेकिन मैन्ट वालों ने प्रीवियस इन्द्राज को बदलने का कोई अधिकार नहीं होते हुए भी खेमा का नाम तेदार के रूप में अंकित कर दिया एवं खेमा की मृत्यु के बाद खेमा का पुत्र होने के कारण ण (अप्रार्थी) के पिता तुलसीराम का नाम रेवेन्यू रिकार्ड में ... गया। इस बात का फायदा हुए अप्रार्थीगण के पिता तुलसीदास द्वारा एक दावा अंतर्गत धारा 53, 54, 188 आर.टी.एक्ट नांक 27.5.1988 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राम... मण्डी में प्रस्तुत कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

जैसे ही हमारे पिता रामगोपाल को इस बात का इल्म हुआ हमारे पिता द्वारा उक्त प्रकरण में
क 29.6.1995 को जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित समस्त
जी का तन्हा खातेदार घोषित किए जाने का प्रस्तुत कर दिया था। उक्त प्रकरण में सेटलमैन्ट
लती से अप्रार्थीगण (वादी) राजस्व रेकार्ड में खातेदार बनकर तो आ गए हैं परन्तु उक्त संपूर्ण
जी प्रार्थीगण (प्रतिवादी) के दादा, पिता एवं वर्तमान में प्रार्थीगण (प्रतिवादी) के कब्जा काश्त में
ल दावे में आराजी के खातेदारी अधिकारों के बारे में उद्‌घोषणा का प्रश्न लंबित है। यदि ऐसी
में आराजी की मौके व रिकार्ड की यथास्थिति पर से स्थगन आदेश हटाया जाता है तो
गण (वादी) आराजी को रहन–बय, बेचान, खुर्द–बुर्द आदि कर सकते हैं। प्रार्थीगण (प्रतिवादी)
ान में आया है कि अप्रार्थीगण (वादी) द्वारा आराजी में अपना नाम होने का फायदा उठाते हुए
पत्र में वर्णित विवादित आराजी का इकरारनामा भी किसी अन्य व्यक्ति को कर दिया है
प्रार्थीगण को अपरिमित एवं अपूरणीय क्षति कारित होने की पूरी संभावना है। इस प्रकार से
र्थीगण (प्रतिवादी) का काउन्टर क्लेम ही बेसूद हो जावेगा। अतः प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत
न्ट के पूर्व के राजस्व रेकार्ड, जमाबंदी संवत 2009–12, संवत 2007 एवं प्रार्थीगण (प्रतिवादी)
रन्तर कब्जे को मद्देनजर रखते हुए प्रार्थीगण (प्रतिवादी) के पक्ष में अस्थाई निषेधाज्ञा
ा पुष्ट की जावे।

पत्रावली में दिनांक 12.01.2021 को अप्रार्थी (वादी) गंगाबाई की ओर से वकील श्री
कुमार गौतम ने वकालतनामा पेश किया। इसके पश्चात पत्रावली लगातार दिनांक 8.2.2021,
21, 26.4.2021, 28.6.2021, 12.7.2021, 26.10.2021, 15.11.2021, 29.11.2021 एवं 17.1.2022
कर अप्रार्थी अधिवक्ता को जवाब पेश करने के अवसर दिये गये। परन्तु अधिवक्ता अप्रार्थी
द्वारा पत्रावली में जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। जवाब अप्रार्थी बंद किया गया। दिनांक
22 को अधिवक्ता श्री नरेश कुमार गौतम को पाबन्द किया गया कि प्रकरण 12 वर्ष से
पुराना है एवं धारा 212 आर.टी.एक्ट के प्रावधानानुसार प्रार्थना पत्र के विनिश्चय के लिए 3
समय सीमा का निर्धारण किया हुआ है। अतः आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से बहस करें
बहस की हुई मानकर पत्रावली निर्णित कर दी जावेगी। अधिवक्ता अप्रार्थी (वादी) श्री नरेश

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

...न को यह भी ताईद किया गया कि इस प्रार्थना पत्र के मूल वाद में दिनांक 26.2.2002 को ...नीय राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ जयपुर द्वारा प्रकरण को 6 माह में निर्णित करने के निर्देश प्राप्त हो रखे हैं। ऐसी स्थिति में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के उक्त निर्देशों एवं प्रकरण ...र्ष से अधिक पुराना होने के कारण आगामी तारीख पेशी पर बहस सुनी जाकर आवश्यक रूप निस्तारित किया जावेगा, परन्तु अधिवक्ता श्री नरेश कुमार गौतम द्वारा आगामी तारीख पेशी 21.2. ...2 को बहस नहीं की गई अपितु न्यायालय में असंतोषजनक उत्तर देते हुए यह कहा कि मेरा ...कार पत्रावली पर एक्सपर्ट की सलाह लेने के लिए मूल पत्रावली लेकर चला गया है। अतः मेरे ... आज बहस नहीं की जा सकती है। इससे स्पष्ट है कि अधिवक्ता अप्रार्थी श्री नरेश कुमार ...म न्याय निर्णयन में न्यायालय का सहयोग नहीं करना चाहते हैं। अतः पूर्व आदेशिका दिनांक ...2022 के अनुसार अधिवक्ता अप्रार्थी (वादी) द्वारा प्रकरण में बहस की गई माना जाकर निर्णय ...ा जा रहा है।

मैंने अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी एवं पत्रावली में प्रस्तुत सेटलमैन्ट से पूर्व के ...स्व रेकार्ड, जमाबंदी की फोटो प्रतियों का (प्रमाणित प्रति मूल दावे में संलग्न है) का अवलोकन ...ा, इससे स्पष्ट है कि प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी सेटलमैन्ट के पूर्व प्रार्थीगण (प्रतिवादी) के ... गोपाल की तन्हा खातेदारी में दर्ज थी। अतः जब तक मूल दावे में यह बिन्दू निर्धारित नहीं हो ...ता है कि उक्त आराजी पर किसके अधिकार बनते हैं, तब तक प्रकरण में अस्थायी निषेधाज्ञा ...ी किया जाना उचित होगा। वैसे भी प्रार्थीगण (प्रतिवादी) का आराजी पर सेटलमैन्ट से पूर्व से कब्जा काश्त है एवं अप्रार्थीगण (वादी) द्वारा ऐसा कोई दस्तावेज पेश नहीं किया गया है जिससे ...दित आराजी पर कभी भी अप्रार्थीगण (वादी) का कब्जा काश्त सिद्ध होता हो। ऐसी स्थिति में ...जी पर काबिज व्यक्ति को बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए बेदखल किया जाना भी विधि संगत होगा। अतः प्रकरण प्रथमदृष्टया होने व सुविधा संतुलन प्रार्थी के पक्ष में होना पाया जाने से ...र्थीगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा ताफैसला पुष्ट की जाती है एवं प्रार्थना पत्र धारा अंतर्गत आर.टी.एक्ट स्वीकार कर आदेश दिये जाते हैं कि :-

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
साँगोद जिला कोटा

ग्राम राजगढ तहसील सांगोद की विवादित आराजीयात खसरा नं0 173/915 की है0, 174 की 0.46 है0, 174/916 की 0.57 है0, 175 की 0.47 है0, 179 की 0.50 है0, व 186 .33 है0, खसरा नं0 187 की 2.00 है0, 338 की 0.19 है0, 339 की 0.43 है0 तथा 391 की 0. हैक्टर कुल किता 10 कुल रकबा 7.41 हैक्टर आराजीयात पर अप्रार्थीगण मौके व रिकार्ड की स्थिति बनाए रखेगें तथा उक्त आराजी ना तो स्वयं एवं ना ही अपने किसी एजेन्ट के जरिए व्यक्ति, बैंक अथवा अन्य संस्था को रहन, विक्रय अथवा अन्य किसी प्रकार के भारग्रस्त व न्तरित नहीं करेगें तथा मौके की यथास्थिति बनाए रखेगें।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सांगोद
साँगोद जिला कोटा

य आज दिनांक 21.02.2022 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(अंजना सहरावत)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी सांग
साँगोद जिला कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajesh Daga
Date: 2023.01.20 15:42:26 IST
Reason: SelfAttested